


11.04.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्राथीगण व अप्रार्थीगण का मूल वादपत्र अदम पेरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं रह जाती। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्दुमानगढ़

